**मणिपुर, भारत के विशिष्ट आद्र्भूमि क्षेत्र के संरक्षण के लिए वैश्विक अभियान**

**वेटलैंड्स इंटरनेशनल को लोकटक के लिए अपनी तथाकथित 'बेहतर उपयोग' योजना को वापस लेना चाहिए**

**पृष्ठभूमि**

लोकटक, पुमलेन, आईकॉप, खारुंग, खोडुम लामजाओ, वैथाऊ, न्गक्रपट, बिरहरिपत, उन्गामेलपट आदि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित परस्पर संबंधित आर्द्रभूमियाँ है जो मणिपुर नदी तंत्र के बहते प्रवाह द्वारा निर्मित हैं। इंफाल (मणिपुर) के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र को लोकटक आद्र्भूमि परिसर (LWC) के रूप में जाना जाता है। इन आर्द्रभूमियों को आसपास के ब्लू माउंटेन्स द्वारा प्रचुर मात्रा में पानी व पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, इस प्रकार इस खुबसूरत और विस्मयकारी आर्द्रभूमि परिसर का निर्माण होता है।

मेइती समुदाय के लोगों ने सदियों से यहां मछलीपालन और आद्र्भूमि आधारित फसलों और सब्जियों की कृषि का कार्य करके एक जीवन शैली विकसित की है जो वृहत मणिपुर क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा इस समुदाय द्वारा कार्बन तटस्थ जीवन निर्वाह, खोखले वृक्ष से निर्मित छोटी डोंगी (डगआउट कैनोज़), फमशांग्स - फ्लोटिंग बायोमास (फुम्ड्डी) पर बांस निर्मित छप्पर और झोपड़ियाँ आदि के उपयोग के कारण मणिपुर के साथ-साथ दुनिया में भी एक जीवंत विरासत की एक विशिष्ट विशेषता को अपनाये हुए है।

लोकटक क्षेत्र दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां मछुआरे तैरते गांवों में निवास करते हैं। लोकटक झील एक रामसर स्थल है तथा संयुक्त राष्ट्र हैबिटैट ने इस क्षेत्र की जीवन निर्वाह प्रणाली को दुनिया के सामने स्थिरता के एक मॉडल के रूप में पहचान दी है। मेइती समुदायों ने सदियों से इस आर्द्रभूमि को जैव विविधता संपन्न क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय ब्रो एंटीलर्ड (संगाई - एक प्रकार का हिरण) इस क्षेत्र के लिए स्थानिक जंतु है। इसके अलावा, यह विशाल आर्द्रभूमि सर्दियों में मध्य एशियाई फ्लाईवे और यूरेशियन-ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे से गुजरने वाले यूरोपीय और मध्य एशियाई प्रवासी जलपक्षीयों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावास है।

प्रकृति के जीवन निर्धारण के तरीकों और आरोपित सीमाओं के बावजूद सामंजस्यपूर्ण तरीके से इस उत्पादक क्षेत्र में सैकड़ों-हजारों परिवार निवास करते हैं। जीवन के ऐसे पारिस्थितिकीय तरीकों को पोषित करने के बजाय - मणिपुर और भारत की सरकारें अब ऐसी परियोजनाओं को लागू करने व बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं जो इस आपसी गुथे हुए पर्यावरणीय और जैव विविधता समृद्ध आर्द्रभूमि परिसर, अद्वितीय संस्कृति और आजीविका संरक्षण के परिदृश्यों को अपरिवर्तनीय रूप से हानि पहुँचाने वाला होगा। इसमें लोकटक झील - 2020 में "इकोटूरिज्म परियोजना" और "लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना - 2019" के रूप में बड़े पैमाने पर निवेश आदि सम्मिलित हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने अपने दक्षिण एशिया डिवीजन के माध्यम से इस तरह के पारिस्थितिकीय और सामाजिक रूप से विनाशकारी बड़े पैमाने के इन पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन किया है।

*हम आपको Ngaamee Lup, Indigenous Perspectives and Environment Support Group द्वारा शुरू किए गए स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करके लोकटक आर्द्रभूमि क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं।*

**वक्तव्य (Statement)**

मणिपुर सरकार की अगुवाई में वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (WISA) और लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) द्वारा जुलाई 2020 में **“लोकटक मणिपुर: बेहतर उपयोग के लिए एकीकृत योजना (2020-2025)”** जारी की गई है। यह पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी, सामाजिक रूप से विघटनकारी साथ ही स्पष्ट तौर पर एक अन्यायपूर्ण प्रस्ताव है। 231 पृष्ठ की योजना में क्षेत्र के प्रशासन के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की नहीं, बल्कि राज्य पोषित संस्थाओं के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया हैं। साथ ही इसमें ऐसी कार्य योजना को प्रस्तावित किया गया है जो परिवहन और पर्यटन के लिए बुनियादी ढाँचे के बड़े पैमाने पर विस्तार को बढ़ावा देती है, उत्पादन के औद्योगिक मॉडल पर आधारित मत्स्यन और उपभोक्तावादी व्यापक पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। WISA की योजना में इस पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में फैक्ट्रियों को स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं, जो दोहनकारी मत्स्यन को पुन: स्थापित करेंगे। यह एक ऐसा कदम जो पारंपरिक रोजगार में संलग्न मछुआरों और किसानों को विस्थापित और विनाश कर देगा।

WISA ने अपनी 'बेहतर उपयोग योजना’ में अत्यधिक शंकालु तथा समस्याग्रस्त मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा जारी "लोकटक झील में इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट" 2020 पर भी सवाल नहीं उठाया है। जिसमें झील के सामने गोल्फ कोर्स बनाने, आर्द्रभूमि में और उसके आसपास सड़कों, जेटी और बोर्डवॉक का निर्माण, "सेंड्रा के रास्ते पर एक पुल जैसे एक हंप ब्रिज जिसके नीचे नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है, झील के किनारे एक 'कृत्रिम पुलिन या बीच का निर्माण, ‘पर्यटकों को आकर्षित करने साथ ही लोकटक झील को देखने आने वाले पर्यटकों और बर्ड वाचिंग आदि के लिए लोकटक झील फ्रंट विकसित करने का प्रावधान है।

 WISA ने मणिपुर लोकटक झील (संरक्षण) अधिनियम, 2006 की कठोर प्रकृति पर भी चर्चा नहीं की है, जो देशज समुदायों, उनकी आजीविका, संस्कृतियों और परंपराओं का अपराधीकरण करती है।

संगठन वास्तव में एलडीए (LDA’s) के इस विचार कि सदियों से झील के किनारे रहकर मछली पकड़ने वाले परिवार अतिक्रमणकर्ता और अधिभोगी का समर्थन करता है। WISA और LDA की रिपोर्ट में लोकटक के अंदर चंपू खंगपोक के तैरते गाँव का भी कोई जिक्र नहीं है, जो सदियों से अस्तित्व में है साथ ही जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक चुनावी गाँव के रूप में भी पंजीकृत है।

चौंकाने वाली बात यह है कि WISA की योजना ने इस अनूठे तैरते गांव पर LDA और मणिपुर पुलिस द्वारा नवंबर 2011 के हमलों को समर्थन दिया है, जिसमें उनके घरों को जलाया गया, उनकी नावों और मछली पकड़ने के उपकरणों को नष्ट किया गया, यह राज्य प्रायोजित ऐसा भयावह कार्य था जिसमें देशज लोगों पर हिंसा की गई तथा उन्हें गहरा आघात पहुँचाया। देशज लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की विश्व स्तर पर निंदा हुई है, जिसमें भारत की संयुक्त राष्ट्र की समन्वयक सुश्री रेनाटा लोक-डेसालियन भी सम्मिलित हैं।

WISA की यह तथाकथित ‘बेहतर उपयोग योजना’ मौन रूप से लोकटक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर पर्यटन के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की LDA के पारिस्थितिक और सामाजिक रूप से विनाशकारी मॉडल का समर्थन करती है। इस तरह के प्रस्ताव न केवल इस आर्द्रभूमि को नष्ट कर देंगे, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों की आजीविका को भी समाप्त कर देंगे जो इस आर्द्रभूमि परिसर के साथ जीवित रहने के लिए जटिल रूप से जुड़ें हुए हैं। इसके अलावा यह मॉडल लोकटक, जो दुनिया के उत्कृष्टतम पक्षी पर्यावासों में से एक है को भी को नष्ट कर देगा।

मणिपुर और भारत की सरकारें, जो जीवन और आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, ने इन अधिकारों की रक्षा करने के स्थान पर मणिपुर उच्च न्यायालय में WISA और LDA के अत्यधिक शंकालु तथा समस्याग्रस्त प्रस्तावों का बचाव किया (2017 की पीआईएल संख्या 24 में)। इस प्रकार मानवाधिकारों की स्थितियों की गंभीर अवहेलना जिसके परिणामस्वरूप देशज मछुआरों, खेती और कारीगरों के समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा और यह आश्चर्यजनक रूप से जैव विविधता वाले आर्द्रभूमि परिसर को बर्बाद कर देगा।

सरकारें स्थानीय समुदायों, मछुआरों और उनके संगठनों के साथ गहरी और व्यापक बातचीत करने के लिए बाध्य हैं, और इस प्रक्रिया द्वारा भविष्य के लिए लोकटक क्षेत्र संरक्षण की योजनाएँ तैयार किया जाती है।

इस तरह की योजनाओं को पंचायत राज संस्थाओं, जिला योजना समितियों (भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार) और विभिन्न जुड़े सरकारी विभागों के साथ उचित लोकतांत्रिक और पारदर्शी परामर्श का परिणाम होना चाहिए, जिसमें इन सभी विभागों की सहमति अनिवार्य है। मणिपुर और भारत की सरकारें लोकतांत्रिक क्षेत्र के विकास को व्यापक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रस्तावित करने के लिए इन संवैधानिक और वैधानिक जनादेशों को व्यापक रूप से दरकिनार कर रही हैं।

भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो इस आर्द्रभूमि परिसर की सुरक्षा हेतु परम संरक्षक है, स्थानीय समुदायों और बड़े पैमाने पर जनता से व्यापक आक्रोश के बावजूद मौन रहा है। सार्वजनिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मणिपुर राज्य वेटलैंड्स प्राधिकरण को WISA और LDA द्वारा योजनाओं के विकास के दौरान अंधेरे में रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा तकनीकी समिति के सदस्यों के कट्टर विरोध की उपेक्षा के इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सदस्यों ने स्वैच्छिक प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए समय की मांग की थी - जिसे उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

WISA और LDA प्रस्तावों को वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017, रामसर कन्वेंशन-1971, रियो घोषणा-1992, जैव विविधता पर कन्वेंशन-1992, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा - 1948, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता -1966, आदि के विरोधी माना जाता है। इसके अलावा, वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरोधी हैं, जो जीवन, आजीविका और एक स्वच्छ पर्यावरण, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत, पारिस्थितिकी केन्द्रित सिद्धांत आदि को बरकरार रखते हैं।

यह सब वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि के ‘बेहतर उपयोग’ का प्रतिनिधित्व करने और बढ़ावा देने के लिए WISA की क्षमता को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो इसे अपने मूल जनादेश के रूप में दावा करता है।

वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि, WISA आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देने वाली एक वैश्विक संस्था के रूप में मणिपुर सरकार द्वारा लोकटक क्षेत्र में मेगा और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्थिति की अनुमति देता प्रतीत हो रहा है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम मांग करते हैं कि:

1. **वेटलैंड्स इंटरनेशनल,** स्विट्जरलैंड को **“लोकटक मणिपुर: बेहतर उपयोग के लिए एकीकृत योजना (2020-2025)”** को बिना शर्त तथा अविलम्ब वापस लेना चाहिए।
2. मणिपुर सरकार को **"लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग"** और **"लोकटक इकोटूरिज्म परियोजना"** परियोजनाओं को वापस लेना चाहिए।
3. 2006 के अत्यंत कठोर **मणिपुर लोकटक झील (संरक्षण) अधिनियम** को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर लोकटक क्षेत्र के लोगों के साथ गहन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि उनके पारंपरिक अधिकारों और आजीविका की रक्षा सुनिश्चित हो सके हो सकें साथ ही वे इस जैव विविधता से समृद्ध आर्द्रभूमि परिसर संरक्षण और संवर्द्धन के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करते रहें।
4. जीवंत विरासत जिसे यहाँ के मछुआरों और कृषक समुदायों ने सदियों से आकार प्रदान किया हैं, की स्वीकारोक्ति में लोकटक क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
5. लोकटक क्षेत्र को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत **‘सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र’** तथा और **जैव विविधता अधिनियम, 2002** के अंतर्गत **'जैव विविधता विरासत स्थल'** के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की दिशा में पहले कदम के रूप में, वन अधिकार समितियों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन के लिए सांविधिक आदेशों को जारी किया जाना चाहिए।
6. लोकटक क्षेत्र में रहने वाले देशज समुदायों के सभी मौलिक और पारंपरिक अधिकारों, विशेष रूप से उनके अधिवास का अधिकार, आवास का अधिकार और आजीविका के अधिकार को उचित पालना के साथ मान्यता दी जानी चाहिए।

 झील - 2020 में "इकोटूरिज्म परियोजना" और "लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना